

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 269
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई में अनियमितताएं

269. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

श्री नारायण तातू राणे:

श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इसके कार्यान्वयन में अनियमितताएं हुई हैं और यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) क्या सरकार फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को दावा राशि समय पर उपलब्ध करा रही है और यदि हां, तो सरकार द्वारा उन किसानों की पहचान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिन्हें उक्त राशि प्रदान की जा रही है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो आरोपियों के विरुद्ध किस प्रकार की जांच की जा रही है;

(ङ) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि हकदार व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हुई है और क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और सरकार द्वारा हकदार व्यक्ति को धनराशि उपलब्ध कराने के लिए की गई उचित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): देश में खरीफ 2016 सीजन से शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) राज्यों और किसानों दोनों के लिए स्वैच्छिक है। वर्तमान में, 23 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। योजना की शुरुआत से लेकर 2023-24 सीजन तक, इस योजना के तहत 42.21 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में 63.19 करोड़ किसान आवेदनों का बीमा किया गया है, जिसके लिए 17,29,395 करोड़ रुपये की बीमा किया गया है। आज तक, इस अवधि के दौरान किसानों के

32,475 करोड़ रुपये के प्रीमियम के विरुद्ध 1,75,276 करोड़ रुपये के कुल दावों का भुगतान किया गया है।

(ख) से (च): बीमा मॉडल का चयन, पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन, किसानों का नामांकन, स्वीकार्य दावों की गणना के लिए फसल उपज/फसल नुकसान का आकलन जैसे सभी प्रमुख कार्य, संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा किए जा रहे हैं। योजना के उचित निष्पादन के लिए योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में प्रत्येक हितधारक की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है।

बीमा कंपनियों द्वारा योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर अधिकांश दावों का निपटान किया जाता है। तथापि, पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के दौरान, बीमा कंपनियों के खिलाफ दावों का भुगतान न करने और/या देरी से भुगतान करने, बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/देरी से प्रस्तुत करने के कारण दावों का कम भुगतान करने, उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद, राज्य सरकार के हिस्से की धनराशि प्रदान करने में देरी, बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त कर्मियों की तैनाती न करने आदि के बारे में कुछ शिकायतें पहले प्राप्त हुई थीं, जिन्हें योजना के प्रावधानों के अनुसार उचित रूप से समाधान किया गया था।

चूंकि योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, इसलिए, योजना के संशोधित प्रचालन दिशानिर्देशों में बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों को हल करने के लिए, स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र जैसे जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को प्रचालन दिशा-निर्देशों में उल्लिखित विस्तृत अधिदेश दिए गए हैं, ताकि शिकायतों की सुनवाई की जा सके और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान किया जा सके।

शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (केआरपीएच) विकसित किया गया है। एक अखिल भारतीय टोल फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहाँ किसान अपनी शिकायतें/मुद्दे उठा सकते हैं। इन शिकायतों/मुद्दों को हल करने की समयसीमा भी तय की गई है। आज तक केआरपीएच पर 95.03 लाख कॉल प्राप्त हुई हैं। इनमें से 29.35 लाख मुद्दों से संबंधित ई-टिकट सृजित किए गए और बीमा कंपनियों को कार्रवाई के लिए भेजे गए। बाकी मुद्दे या तो सूचनाफरक थे या सलाह संबंधी थे। 29.35 लाख मुद्दों से संबंधित ई-टिकट सृजित किए गए, जिनमें से 29.12 लाख (99%) का समाधान किया गया है। इससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एकीकृत मंच पर हितधारकों की शिकायतों की निगरानी करने में मदद मिली है।

सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना का प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की डिलीवरी, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसानों के विवरण अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों के एकल स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी)** को विकसित किया गया है।
- दावा संवितरण प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी करने के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान के लिए **‘डिजिटल मॉड्यूल’** नामक एक समर्पित मॉड्यूल प्रचालन किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत करना शामिल है ताकि सभी दावों का समय पर और पारदर्शी प्रसंस्करण प्रदान किया जा सके।
- पीएमएफबीवाई प्रचालन दिशानिर्देश स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करते हैं। योजना के तहत सभी शिकायतों को बेहतर ढंग से हल करने के लिए, केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में काम करने के लिए एक एकीकृत **कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (केआरपीएच)** विकसित की गई है।
- इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, **सीसीई-एग्री ऐप** के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) डेटा को कैप्चर करना और इसे एनसीआईपी पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन को देखने की सुविधा देना, एनसीआईपी के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान हो सके।

वस्तुपरक फसल क्षति एवं नुकसान आकलन तथा पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी वर्ष 2023-24 से कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया है:

- यस-टेक (तकनीक पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली)** के माध्यम से रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान में क्रमिक रूप से आगे बढ़ना ताकि उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में मदद मिल सके। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई है, जिसमें उपज अनुमान में 30% महत्व अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। खरीफ 2024 सीजन से सोयाबीन की फसल को जोड़ा गया है।
- जीपी और ब्लॉक स्तर पर हाइपर-स्थानीय मौसम डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क के 5 गुना तक स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस) और स्वचालित वर्षा-गेज (एआरजी) के नेटवर्क की स्थापना के लिए **विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम)**। इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के समन्वय से अंतरसंचालनीयता और डेटा साझा करने के

साथ एडब्ल्यूएस और एआरजी के राष्ट्रीय एकीकृत नेटवर्क में डाला जाएगा। विंड्स न केवल यस-टेक के लिए डेटा प्रदान करता है बल्कि प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्व-अनुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए भी डेटा प्रदान करता है।

विभाग सभी हितधारकों की साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्यक्तिगत बैठकों के साथ-साथ राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से दावों के समय पर निपटान सहित बीमा कंपनियों के कामकाज की नियमित निगरानी कर रहा है।

प्राप्त अनुभव, विभिन्न हितधारकों के विचारों के आधार पर तथा बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को अधिक किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर पीएमएफबीवाई के प्रचालन दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत पात्र लाभ किसानों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे।

योजना के तहत की गई विभिन्न पहलों के कारण, वर्ष 2023-24 में कवर किया गया सकल फसल क्षेत्र (जीसीए), वर्ष 2022-23 में 501 लाख हेक्टेयर की तुलना में 604 लाख हेक्टेयर था, जो 20.5% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2023-24 में नामांकित विशिष्ट किसानों की संख्या 3.97 करोड़ थी, जबकि वर्ष 2022-23 में यह 3.17 करोड़ थी, जो 25% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। इसलिए, योजना के तहत क्षेत्र और किसानों का कवरेज अब तक के उच्चतम स्तर पर है।

यद्यपि यह योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है, लेकिन वर्ष 2023-24 के दौरान गैर-ऋणी किसानों का कवरेज, योजना के तहत कुल कवरेज का 55% तक बढ़ गया है, जो योजना की स्वैच्छिक स्वीकार्यता/लोकप्रियता को दर्शाता है।
